



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx  
xxxGIDExxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240462

CG-DL-E-22112022-240462

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 745]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

**सा.का. नि. 836(अ).—** केन्द्रीय सरकार - मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60), की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ग) और धारा 100 की उप-धारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेट्रो रेलवे सामान्य नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल सामान्य (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,

(i) खंड (xxviii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(xxviii) "कोडेड मैनुअल मोड या एटीपी मोड या एटीपी के किसी भी समकक्ष मोड" का अर्थ है निरंतर स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के अधीन ट्रेन के परिचालन का तरीका, जहां ट्रेन मैनुअल रूप से चलती है, लेकिन स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली द्वारा निर्धारित अधिकतम गति के अधीन होती है।

(ii) खंड (lxxxi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(lxxxiia) "आरआरटीएस" से क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणाली अभिप्रेत है; "मेट्रो" शब्द, जहां कहीं भी आता है, आरआरटीएस के संदर्भ में इसके स्थान पर "आरआरटीएस" रखा जाएगा;

(iii) खंड (xcix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

'(xcixa) "स्टॉप मार्कर बोर्ड" का अर्थ एक भौतिक ट्रैक साइड बोर्ड है, जिसका उपयोग ड्राइवर मशीन इंटरफेस पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त सटीक स्टॉपिंग लोकेशन की पहचान करने के लिए किया जाता है और इसे उसी संकेतार्थ में पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि यथा लागू फिक्स्ड सिग्नल या स्टॉपिंग मार्कर, में है;'

3. उक्त नियमों में, नियम 117 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"118. अनुज्ञप्त गति – (1) रन-ऑन-साइट (आरओएस) मोड और प्रतिबंधित मैनुअल (आरएम) मोड में अनुज्ञप्त गति को आरआरटीएस के लिए चालीस किलोमीटर प्रति घंटा और अन्य महानगरों के लिए पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

(2) आंतरायिक संचरण सहित बैकअप एटीपी की उपलब्धता के मामले में, इस प्रणाली का उपयोग तेज़ गति में सुरक्षित रखने, खतरे में सिग्नल देने और टक्कर को रोकने के लिए किया जाएगा।

(3) ट्रेनों की आवाजाही विशेष निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी।

[फा. सं. के-14011/15/2017-एमआरटीएस-II]

जयदीप, ओएसडी (यूटी) और पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में संख्यांक सा.का.नि. 769(अ), तारीख 17 दिसंबर 2020 द्वारा से प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

**G.S.R. 836(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 22 and clause (e) of sub-section (2) of section 100 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Metro Railways General Rules, 2020, namely: —

**1. Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Metro Railways General (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Metro Railways General Rules, 2020, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,

(i) for clause (xxviii), the following clause shall be substituted, namely: —

‘ (xxviii) “Coded Manual Mode or ATP mode or any equivalent mode of ATP” means the mode of operation of train under Continuous Automatic Train Control System where train is driven manually but remains subject to maximum speed determined by Automatic Train Protection system’;

(ii) after clause (lxxxii), the following clause shall be inserted, namely: —

‘ (lxxxiiia) “RRTS” means Regional Rapid Transit System; the word "Metro", wherever it occurs, shall be substituted by “RRTS” in context of RRTS’;

(iii) after clause (xcix), the following clause shall be inserted, namely: —

‘ (xcixa) “Stop Marker Board” means a physical track side board which is used to identify the exact stopping location in addition to the display on the Driver Machine Interface and should be read in the same connotation as fixed signals or stopping markers, as applicable’.

3. In the said rules, after rule 117, the following rule shall be inserted, namely: —
- “118. Permitted Speed – (1) The permitted speed in Run-on-Sight (ROS) Mode and Restricted Manual (RM) Mode, should be read as forty Kilometer per hour for RRTS and twenty-five Kilometer per hour for other metros.
- (2) In case of availability of Backup ATP with intermittent transmission, the system shall be used to safeguard against over-speeding, passing signal at danger and avert collision.
- (3) The movement of trains shall be governed by special instructions”.

[F. No. K-14011/15/2017-MRTS-II]

JAIDEEP, OSD (UT) & ex-officio Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(i) *vide* number G.S.R. 769(E), dated the 17<sup>th</sup> December, 2020.